

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र :- 454 / 2025

GCMS NO- -----

हनुमान पुत्र सरदारा राम जाति गुर्जर निवासी त्योंदा
बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

निर्णय दिनांक 09.12.2025

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड, तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भूअ./25/3718 दिनांक 18.10.2025 की रिपोर्ट में स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम त्योंदा पटवार मण्डल त्योंदा की जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता सं. 413 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	त्योंदा	जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता सं. 413 2904 / 2593, 2905 / 2610,	हनुमान पुत्र सरदारा	हनुमान पुत्र सरदारा राम

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

दिनांक खेतड़ी 09.12.2025

क्रमांक :- राजस्व / 2025 / 447

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हनुमान पुत्र सरदारा राम जाति गुर्जर निवासी त्योंदा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुंझुनू